न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री [illegible] (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 10/21 (225 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/18

उनवान

1. श्रीमती मीना वर्मा पत्नी भगवतप्रसाद वर्मा जाति जाटव निवासी ग्राम हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर।

......................अपीलाण्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र घीसोली जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. जसवंत } पुत्रान मंगती जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. सतीश }

.... रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 10.07.2020 प्र0स0 50/15 उनवान श्रीमती मीना वर्मा बनाम रामस्वरूप।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 24.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 10.07.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 104 रकवा 10 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम सीता तहसील वैर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपीलाण्ट 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। विवादित आराजी प्रार्थी अपीलाण्ट ने अप्रार्थी रैस्पो0 रामस्वरूप के पिता व जसवंत, सतीश के बाबा स्व0 घीसोली पुत्र नानगा जाति जाटव निवासी हाथौडी तहसील वैर से दिनांक 20.12.2001 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की थी, तभी से विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी रैस्पो0 के बाबा द्वारा विक्रय करने के पश्चात् विवादित आराजी पर कोई हित व संबंध नहीं रहा है एवं ना ही उनका कोई कब्जा काश्त है। प्रार्थी अपीलाण्ट को उपपंजीयक वैर से वयनामा नहीं मिल पाया। अतः विवादित आराजी का वयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं हो पाया। तत्पश्चात् घीसोली के देहान्त के बाद

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विवादित आराजी पर अप्रार्थी रैस्पो0 के विरासतन इंद्राज आ गये। उक्त गलत इंद्राजो का अनुचित लाभ लेते हुये अप्रार्थी रैस्पो0 विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, वय, मुंतकिल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2020 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय में हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी के अपीलाण्ट सद्भावी क्रेतागण हैं। परन्तु विवादित आराजी बाबत् वयनामा उपपंजीयक वैर के कार्यालय से अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुआ। जिस कारण विवादित आराजी बाबत् वयनामा के आधार पर प्रार्थी अपीलाण्ट के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं हो सके। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट को मुद्रांक विभाग द्वारा उक्त वयनामा के आधार पर नोटिस भी आया था जिसकी राशि भी अपीलाण्ट ने अदा कर दी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में बनता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये, विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की पाबन्दी आयद करने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय उपपंजीयक वैर की रसीद दिनांक 20.12.2001, श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के नोटिस दिनांक 07.07.2023 एवं सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करायी गयी सूचना पत्र क्रंमाक 11455 दिनांक 30.11.2017 के साथ किता 16 एवं उपपंजीयक वैर के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को घीसोली से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है। परन्तु उन्हें मूल वयनामा प्राप्त नहीं होने के कारण, विवादित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं हो पाया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित है। लिहाजा हम दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की पाबन्दी आयद करना न्यायोचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2020 निरस्त किये जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर104 रकवा 10 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम सीता तहसील वैर के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर